-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कालिंजर पुलिस द्वारा देशी शराब के ठेके से हुए चोरी की घटना का सूचना के 08 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के शत प्रतिशत 03 लाख 58 हजार 600 रुपए नकद बरामद।**
- **ठेके के सेल्समैन द्वारा ही अपने 02 अन्य साथियों संग मिलकर दिनांक 17.03.2026 की रात्रि को चोरी की घटना को दिया गया था अंजाम।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री कृष्ण कान्त त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में थाना कालिंजर पुलिस द्वारा देशी शराब के ठेके से हुई चोरी की घटना का सूचना के 08 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी के शत प्रतिशत रुपए बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि कटरा कालिंजर में दिनांक 17.03.2026 की रात्रि को देशी शराब के ठेके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध में ठेके के अनुज्ञापी साजिद पुत्र सुबराती द्वारा दिनांक 18.03.2026 को थाना कालिंजर पर नामजद तहरीर दिया गया था। जिस पर थाना कालिंजर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में घटना में शामिल अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर दुर्गा माता मंदिर के पास कटरा कालिंजर से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे में चोरी के शत प्रतिशत 03 लाख 58 हजार 600 रुपए, बिक्री के स्कैनर मशीन व अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बता दें कि मुख्य अभियुक्त आशीष उर्फ पप्पू उसी दुकान का सेल्समैन है जिसने अपने 02 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।

बरामदगी-

- 03 लाख 58 हजार 600 रुपए नकद (चोरी के)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 बिक्री स्कैनर मशीन (चोरी के)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष कुमार उर्फ पप्पू पुत्र दादूराम निवासी बसराही थाना कालिंजर जनपद बांदा।
2. संतोष उर्फ संतु पुत्र शम्भू निवासी तरहटी थाना कालिंजर जनपद बांदा।
3. अरविन्द उर्फ आनन्द पुत्र शंकरलाल निवासी तरहटी थाना कालिंजर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 37/26 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कालिंजर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 38/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संतोष उर्फ संतु उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 48/17 धारा 363/366/368/376डी भादवि व 5F पॉक्सो एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 01/25 धारा 60 आब0अधि0 थाना कालिंजर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 133/25 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना कालिंजर जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविंद उर्फ आनन्द उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 263/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कर्वी जनपद चित्रकूट।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 थाना कालिंजर
2. उ0नि0 श्री रणजीत बहादुर
3. उ0नि0 श्री सतीश चन्द्र गौतम
4. उ0नि0 श्री रामरक्षा सिंह
5. कां0 जितेन्द्र सिंह
6. कां0 सुशील तिवारी